

राजपूताना में क्रान्तिकारी गतिविधियों का केन्द्र—अजमेर

(1905—1935ई.)

Dr. Lata Agarwal
Associate Professor(History)
SPCGAJMER.

शोध सार—16 अक्टूबर 1905 ई. को वायसराय लार्ड कर्जन द्वारा किये गये बंगाल विभाजन की देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जिसने भारत में क्रान्तिकारी गतिविधियों को प्रश्रय दिया, जिसका उद्देश्य सत्ताधारी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति या विद्रोह उत्पन्न कर राष्ट्रवाद का प्रचार करना था। राजपूताना में राजनीतिक चेतना के प्रादुर्भाव रियासती ठिकानों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पोषित राजशाही के विरुद्ध शिक्षित वर्ग ने ब्रिटिश प्रान्त अजमेर को केन्द्र बनाकर आन्दोलन किया। पेन, प्रेस, प्लेटफार्म द्वारा गाँवों में लोगों को संघर्ष व देशभक्ति की तकनीक सिखाई गई। देश में साम्प्रदायिक दंगों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू पुनरुत्थान के लिए शुद्धि—संगठन जैसे क्रान्तिकारी प्रयास किये गये। दयानन्द सरस्वती ने वैदिक स्वराज की अवधारणा को पुनर्जीवित कर राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों को सचेत किया। पहले उन्होंने 'आध्यात्मवाद' और फिर 'राष्ट्रवाद' का नारा दिया। महाराष्ट्र के श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1888—1889 ई. में अजमेर से ही अपनी वकालत शुरू की थी। स्वदेशी प्रचार की वे जनजागृति का आधार मानते थे। ब्यावर, केकड़ी तथा नसीराबाद में उन्होंने तीन कॉटन वीविंग फैक्ट्रियाँ स्थापित की। वे दयानन्द सरस्वती के शिष्य थे। देश में स्वदेशी, बहिष्कार, बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार के प्रति सक्रिय प्रतिरोध की भावना का प्रतीक था। खरवा के राव गोपालसिंह धार्मिक और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देते थे, जिससे देश और जाति के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो सके। क्रान्तिकारियों के केन्द्र— बोर्डिंग हाऊस और निजी स्कूल थे जहाँ पर क्रान्ति के लिये आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था। 1915—1922ई. तक प्रथम विश्व युद्ध और गांधीजी के देशव्यापी असहयोग आन्दोलन के कारण प्रायः सभी बंदी जीवन में रहें। क्रान्तिकारियों को राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने के कारण तथा 23 मार्च, 1931ई. भगतसिंह, शिवराम हरी राजगुरु तथा सुखदेव थापर को लाहौर में दी गई फांसी के बाद 1932 व 1935 ई. में घटित घटनाओं के बाद पुलिस के अमानवीय दमन चक्र के कारण राजपूताना में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ प्रजामण्डल आन्दोलन के रूप में सक्रिय हुई।

संकेताक्षर—राजपूताना, राजनीतिक चेतना, क्रान्तिकारी गतिविधियाँ, प्रजामण्डल आन्दोलन

अजमेर की प्राकृतिक एवं भौगोलिक विशिष्टताएँ, विस्तृत निर्जन मरुभूमि, अरावली पर्वत की श्रेणियाँ, रेत के विशाल टीले और घने वन आदि क्रान्तिकारियों की गतिविधियों को प्रेरित करने में सहायक रहे, जहाँ पुलिस की पकड़ से बचने के लिए शरण ली जाती थी। बीसवीं शताब्दी में आन्तेड़ की पहाड़ियों की तलहटी में स्थानीय युवकों ने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के संचालन के लिए संगठन बनाए। रियासती ठिकानों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पोषित राजशाही के विरुद्ध शिक्षित वर्ग ने ब्रिटिश प्रान्त अजमेर को केन्द्र बनाकर आन्दोलन किया। पेन, प्रेस, प्लेटफार्म द्वारा गाँवों में लोगों को संघर्ष व देशभक्ति की तकनीक सिखाई गई। देश में साम्प्रदायिक दंगों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू पुनरुत्थान के लिए शुद्धि—संगठन जैसे क्रान्तिकारी प्रयास किये गये।¹

अजमेर में राजनीतिक चेतना के प्रादुर्भाव का प्रमुख आधार था— अजमेर आर्य समाज की गतिविधियों का एक प्रमुख और शक्तिशाली केन्द्र रहा था। स्वामी दयानन्द ने अपने अन्तिम दिन अजमेर में ही व्यतीत किये थे और यहीं उनका निधन हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि यथासमय अजमेर हिन्दू पुनर्जागरण की दिशा में भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया था। आर्य समाज ने स्वामीजी की स्मृति में स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, छापाखाना एवं अनाथालय की स्थापना कर अजमेर की जनता में सामाजिक और धार्मिक जाग्रति उत्पन्न कर दी थी। शिक्षा के इसी पुनर्जागरण के फलस्वरूप ही अजमेर की जनता की बौद्धिक चेतना के विकास के साथ-साथ उनमें एक नये ही ढंग की राजनीतिक चेतना भी जाग्रत हुई। बीसवीं सदी का प्रारम्भ अजमेर की जनता की बौद्धिक चेतना, सामाजिक जाग्रति एवं राजनीतिक स्थिरता का महत्वपूर्ण युग था। इस शैक्षणिक एवं प्रगतिशील तथा उदार सुधारवादी आन्दोलन ने अपना स्वरूप विकसित किया और अजमेर—मेरवाड़ा की जनता के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। आर्य समाज के अलावा इस क्षेत्र में इसाई पादरियों द्वारा प्रारम्भ विभिन्न शिक्षण—संस्थान द्वारा भी अजमेर की जनता का दकियानूसी पिछड़ापन समाप्त हुआ।²

बंगाल विभाजन का प्रभाव— 16 अक्टूबर 1905 ई. को वायसराय लार्ड कर्जन द्वारा किये गये बंगाल विभाजन की देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जिसने भारत में क्रान्तिकारी गतिविधियों को प्रश्रय दिया। समाचार पत्रों के द्वारा इस विभाजन का प्रभाव अजमेर के युवकों पर पड़ा। राजपूताना की सांस्कृतिक विरासत के प्रति श्रद्धा होने के कारण बंगाल के क्रान्तिकारी अजमेर के प्रति आकर्षित हुये। महाराणा प्रताप व मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ के पराक्रम तथा देशाभिमान की कहानियों से बंगाल के लोग प्रभावित हुये। बंगला साहित्य को राजपूताना के शौचपूर्ण इतिहास ने नई दिशा प्रदान की थी। बंगला उपन्यासकार बंकिमचन्द्र चटर्जी को राजपूताना की यशोगाथाओं से अपार प्रोत्साहन मिला

था। ब्रिटिश प्रान्त अजमेर में उस समय शस्त्र कानून लागू नहीं था। अजमेर में सरलता से सस्ते मूल्यों पर हथियार उपलब्ध हो जाते थे। ब्रिटिश पोलिटिकल एजेण्ट्स के दुर्व्यवहार से सामन्तों तथा जागीरदारों में रोष व्याप्त था। उन्होंने भी क्रान्तिकारियों को गुप्त रूप से प्रोत्साहन दिया। बंग-भंग के बाद ही अजमेर में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ प्रारम्भ हुईं। क्रान्तिकारी स्वराज प्राप्त करना चाहते थे उनका विश्वास था कि स्वराज प्राप्ति के लिये डकैती और हत्याएँ पाप नहीं हैं। ब्रिटिश शासन को समूल नष्ट करने की भावना उनमें तीव्र थी। गैरीबाल्डी और मैजिनी के संघर्ष क्रान्तिकारियों के आदर्श थे। इटली पर अबीसीनिया की विजय और रूस पर जापान विजय जैसी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने उनमें नवीन जोश और उत्साह उत्पन्न किया था।³

अजमेर में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ— उन्नीसवीं शताब्दी के धर्म-सुधार आन्दोलन ने जनजागृति की आधारशिला तैयार कर दी थी जिसने एक ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति असन्तुष्ट था। दयानन्द व विवेकानन्द ने अपने प्रचार कार्यों और उपदेशों द्वारा देशी नरेशों का मातृभूमि की रक्षा के लिए आह्वान किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्राचीन मूल्यों, परम्पराओं के प्रति युवकों में आस्था उत्पन्न की और देश के गौरवमय अतीत के प्रति सोचने के लिये विवश किया। दयानन्द सरस्वती ने वैदिक स्वराज की अवधारणा को पुनर्जीवित कर राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों को सचेत किया। पहले उन्होंने 'आध्यात्मवाद' और फिर 'राष्ट्रवाद' का नारा दिया।⁴

महाराष्ट्र के श्यामजी कृष्ण वर्मा⁵ ने 1888-1889 ई. में अजमेर से ही अपनी वकालत शुरू की थी। स्वदेशी प्रचार को वे जनजागृति का आधार मानते थे। ब्यावर, केकड़ी तथा नसीराबाद में उन्होंने तीन कॉटन वीविंग फैक्ट्रियों स्थापित कीं। वे दयानन्द सरस्वती के शिष्य थे। संस्कृत में भाषण देने की क्षमता के कारण दयानन्द ने उन्हें परोपकारिणी सभा का सदस्य बनाया। उच्च शिक्षा और वैदिक-धर्म के प्रसार के लिये दयानन्द सरस्वती ने उन्हें इंग्लैण्ड जाने के लिये प्रेरित किया।⁶

राष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के घटना चक्र ने भी राजस्थान के स्वतन्त्रता संघर्ष को प्रभावित किया। बीसवीं शताब्दी में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शिक्षित युवकों का चिन्तन आक्रामक हो गया था। महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सव आयोजित किये जाने लगे थे जिनमें गणेश और शिवाजी सम्बन्धी श्लोक गाये जाते थे, जिनका भाव देश को स्वतन्त्र करवाने के लिये बलिदान की प्रवृत्ति उत्पन्न करना था। तिलक का कहना था कि ईश्वर ने अंग्रेजों को राज्य का पट्टा लिखकर नहीं दिया है, हमें देश के महापुरुषों के चरित्र पर विचार करते हुये शिवाजी की तरह आचरण करते रहना चाहिए। उन्होंने क्रान्तिकारी विचारों के प्रचार के लिए पेन-प्रेस-प्लेटफार्म का सहारा लिया।⁷

देश में स्वदेशी, बहिष्कार, बंगाल विभाजन के दिनों में ब्रिटिश सरकार के प्रति सक्रिय प्रतिरोध की भावना का प्रतीक था। बिपिन चंद्र पाल तथा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सार्वजनिक सभाओं में अपने भाषणों से राजनीतिक जागृति उत्पन्न की ओर स्वदेशी प्रयोग की प्रतिज्ञा करवाई—'सर्वशक्तिशाली ईश्वर को अपना साक्षी मानकर और भावी पीढ़ियों की उपस्थिति में खड़े होकर हम यह गम्भीर प्रतिज्ञा करते हैं कि जहाँ तक व्यावहारिक होगा हम घर की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। इन प्रतिज्ञाओं का अजमेर के शिक्षित वर्ग पर प्रभाव पड़ा। अजमेर के ठिकाने खरवा के इस्तमरारदार राव गोपालसिंह (1872-1939 ई.) ने स्वदेशी प्रचार के लिये युवकों को अपने व्यय पर गोंवों में भेजा। खरवा नरेश स्वयं ने खादी वस्त्र पहनना शुरू किया और स्कूलों में खादी अपनाने का प्रस्ताव रखा। खरवा, पाली तथा लाडनू के आस-पास के दुकानदारों ने युवकों के स्वदेशी प्रचार से प्रभावित होकर विदेशी कपड़े, विदेशी सामान व विदेशी शक्कर आदि बेचना बन्द कर दिया और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया।⁸

राव गोपालसिंह पर भारत धर्म महामण्डल और आर्य समाज का प्रभाव था। 1898 ई. में वे धर्म महामण्डल के सदस्य बने। मण्डल के सचिव स्वामी ज्ञानानन्द ने खरवा और आस-पास के गोंवों में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों पर बल दिया। 1901 ई. में एक आर्यसमाजी प्रचारक खरवा गये थे जिससे राव प्रभावित हुये। उनका कहना था कि लोगों में आत्मविश्वास, भारतीय पुरानी पद्धति पर आधारित शिक्षा तथा मातृभाषा से ही उत्पन्न हो सकता है। वे धार्मिक और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देते थे, जिससे देश और जाति के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो सके। अजमेर आर्यसमाज के मन्त्री ग्यारसीलाल ने समसामयिक विषयों पर वाद-विवाद की प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए डी.ए. ए.वी. स्कूल, अजमेर में 1903 ई. में एक 'डिबेटिंग क्लब' स्थापित किया था। 1904 ई. में ग्यारसीलाल ने तथा 1905 ई. में बनारस कांग्रेस अधिवेशन से लौटे रामबिलास सारडा ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग व खादी के प्रचार पर बल दिया।⁹

1905 ई. के बाद देश में जन-आन्दोलन क्रान्तिकारी स्वरूप धारण करने लगा था। महाराष्ट्र में अभिनव भारत समिति¹⁰, बंगाल में अनुशीलन समिति¹¹, लन्दन में इण्डियन हाऊस¹² तथा अमेरिका में गदर पार्टी¹³ आदि क्रान्तिकारी संगठनों ने देश के भीतर और बाहर हिंसात्मक उपायों द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने के प्रयास किये। इन्हीं से प्रेरित होकर अजमेर में राव गोपालसिंह, अर्जुनलाल सेठी, दामोदरदास राठी तथा केसरीसिंह बारहठ आदि ने क्रान्तिकारी गतिविधियों का संचालन किया। उन्होंने अजमेर में गुप्त रूप से 'वीर भारत सभा'¹⁴ विजयसिंह पथिक ने 1910 ई. स्थापित की जिसका उपर्युक्त राष्ट्र के क्रान्तिकारी संगठनों से संबंध था। प्रथम विश्व युद्ध से उपरान्त उत्तर प्रदेश में

हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन¹⁵ और पंजाब में नौजवान भारत सभा¹⁶ के उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति द्वारा भारत में प्रजातान्त्रिक संघीय शासन की स्थापना करना था।

अजमेर के प्रारम्भिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपना राजनीतिक जीवन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आरम्भ किया था। राव गोपाल सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन, अकाल पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता और निर्धन तथा राजपूत विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने से प्रारम्भ किया था। इनका कार्य-क्षेत्र छोटे जागीरदारों और भूमिियों में था। हथियार इकट्ठे करना इनका मुख्य कार्य था। पथिक जी जो कि उस समय भूपसिंह के नाम से कार्य करते थे, राव साहब के निकट के सहयोगी थे। केसरीसिंह बारहठ ने राजपूत परिवारों एवं चारणों में सांस्कृतिक जागृति लाने का बीड़ा उठाया। अर्जुनलाल सेठी ने तो अपना सम्पूर्ण जीवन ही शिक्षा जगत् एवं जैन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया था।¹⁷

ब्यावर के व्यापारी सेठ दामोदरदास राठी (1882-1918 ई.) बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। वे क्रान्तिकारियों की गुप्त रूप से आर्थिक सहायता करते थे। क्रान्तिकारियों को प्रोत्साहन देने के कारण उन्हें 'तिलक युग का भामाशाह' कहा जाता था। राठी देश के व्यापारिक ह्रास के लिए अंग्रेजों की आर्थिक नीति को उत्तरदायी मानते थे, संघर्ष और शक्ति को राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति की साधन मानते थे तथा तिलक के उग्रवाद के समर्थक थे। स्वदेशी कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए 1905 ई. में ब्यावर में कृष्णा कॉटन मिल और अन्य शहरों में स्वदेशी वस्त्रों की दुकानें स्थापित की। कलकत्ता में कॉटन प्रेस व वीविंग फैक्ट्रियों को प्रारम्भ कर क्रान्तिकारी बंगालियों के लिये महीन सूत की धोतियों को भेजा। उन्होंने मदनमोहन मालवीय को हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 11,000/- रुपये की राशि भेंट की। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का विरोध किया वे युवा वर्ग को ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध तैयार करने के लिये उन्होंने 30 मार्च, 1907 ई. को अजमेर में स्थित लालकोठी में एक युवा अजमेर-मेरवाड़ा अनुशीलन गुप्त समिति का गठन किया। ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी ने 10,000/- रुपये और रावगोपाल सिंह ने 2,000/- रुपये की राशि भेंट की। इस समिति में 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की आयु के डी.ए.वी. स्कूल, राजकीय महाविद्यालय तथा ब्यावर के सनातन विद्यालय जैन विद्यालय आदि के कुल लगभग 78 छात्र सदस्य बने। सदस्यता स्वरूप सभी से 5-5 पैसे एकत्रित किये गये थे। इसकी बैठकें प्रति रविवार यज्ञ-हवन करने के बाद प्रातः 8 से 9 बजे होती थी। सभी को सफेद वस्त्र धारण करना अनिवार्य था इसके अध्यक्ष खरवा नरेश राव गोपालसिंह बने।¹⁸

अजमेर में राजनीतिक जागृति का उद्भव और उत्तेजित करने में मुख्यतया महाराष्ट्र व बंगाल के स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रेरणा का प्रतिफल था। अंग्रेज-विरोधी उत्तेजना को धीरे-धीरे आर्य समाज के धार्मिक उपदेशकों से भी आधार मिलता रहा। राव गोपालसिंह के बारे में बम्बई पुलिस ने ए.जी.जी. को 1909 ई. में ही यह सूचित कर दिया था कि उनके बारे में "इस तरह की बातें प्रचलित हैं कि उनका सम्पर्क देशद्राही तत्वों से है और वह स्वयं प्रबल अंग्रेज विरोधी है।" क्रान्तिकारी राव गोपालसिंह ने क्रान्तिकारी केन्द्र- बोर्डिंग हाऊस और निजी स्कूलों के रूप में खोलकर वहां क्रान्ति के लिये जन-जागृति पैदा करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्होंने शिक्षण संस्थानों का एक जाल सा बिछा दिया था जो राजनीतिक गतिविधियों के केन्द्र बन गये थे। राजपूत बोर्डिंग हाऊस व अर्जुनलाल सेठीजी के वर्धमान विद्यालय में अस्त्र-शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिये सशस्त्र क्रान्ति आवश्यक है तथा सशस्त्र क्रान्ति के लिये रिवाल्वर और पिस्तौल क्रय हेतु यदि डाका भी डाला जाये तो कोई पाप नहीं है।¹⁹ अप्रैल, 1906 ई. में भारत के वायसराय लार्ड मिंटो के अजमेर आगमन पर अजमेर कमिश्नर कर्नल पी.टी. मैनविल (5 जून, 1903 ई.-18 नवम्बर, 1906 ई.) ने रेलवे स्टेशन पर उनकी सुरक्षार्थ 35 पुलिस कान्स्टेबल तैनात किये गये। पुलिस अधिकार एच.जी.ग्रीट ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिये लगभग 15 साधारण व्यक्तियों को पकड़ कर बंदीगृह में डाल दिया गया।²⁰

3 जनवरी, 1907 ई. में अफगानिस्तान के हिजहाईनस अमीर हबीबुल्ला खान के अजमेर दरगाह आगमन पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जान हैनरी ने कमिश्नर कर्नल स्ट्राटन के कहने पर पुलिस को दरगाह के बाहर बैठे हुये भिखारी तथा संदेह युक्त व्यक्तियों को बंदी बनाने के आदेश 2 जनवरी 1907 को जारी किये फलतः लगभग 80-90 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया।²¹

इसी प्रकार पुलिस के क्रान्तिकारियों के विरुद्ध अनैतिक अत्याचार बढ़ने लगे। 21 दिसम्बर, 1911 ई.को महारानी मैरी के अजमेर आगमन पर रेलवे स्टेशन, अजमेर पर आम आदमी का आवागमन बंद कर दिया गया और 22 व 23 दिसम्बर को पुष्कर मार्ग बंद करने से यातायात मार्ग अवरुद्ध हो गया। पुलिस अधिकारी जार्ज ब्यूरी ने पुष्कर तीर्थयात्रियों को शक पर बंदी बनाकर उन्हें पुष्कर थाने में चार दिन तक बंदी रखा गया। जयपुर से आये शिवराज व उनके छोटे भ्राता राजूसिंह पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अजमेर के नगर परिषद् सदस्य नाथूलाल के द्वारा जमानत देने पर वे 15 जनवरी, 1912 ई. को रिहा हो सके।²² बारहठ केसरीसिंह का सम्पूर्ण परिवार, उनके पुत्र प्रतापसिंह और भाई जोरावरसिंह क्रान्तिकारी गतिविधियों में शामिल थे। चारण राजपूत छात्रावास क्रान्तिकारी गतिविधियों

के केन्द्र बन गये थे और वर्धमान विद्यालय का इस क्षेत्र में काफी महत्व था। 1911 ई. में भूपसिंह जिन्होंने आगे चलकर विजयसिंह पथिक के नाम से राजस्थान में स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था—राव गोपालसिंह के निजी सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। 1911 ई. तक अजमेर को केन्द्र बनाकर गुप्त समितियों ने काम आरम्भ कर दिया था। 1911 ई. के बाद ही राजस्थान के क्रांतिकारियों का बंगाल के शचीन्द्रनाथ सान्याल और रासबिहारी बोस के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ था। इनमें से उदयपुर के प्रतापसिंह(केसरीसिंह बारहठ के पुत्र)बारहठ ने दिल्ली और बनारस षडयंत्र कांडों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। राजस्थान में उस समय अस्त्र-शस्त्रों पर कोई लाईसेन्स का प्रावधान न होने के कारण अजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र क्रांतिकारियों के लिये अस्त्र-शस्त्रों पर कोई लाईसेन्स न होने के कारण यह प्रान्त क्रांतिकारियों के लिये अस्त्र-शस्त्र एकत्रित करने व उनके निर्माण हेतु गुप्त कारखाने स्थापित करने के लिये उपयुक्त स्थान था। इसी उद्देश्य से रासबिहारी बोस ने हार्डिंग बमकांड के बाद ही भूपसिंह और बालमुकन्द को अजमेर भेजा था। इनके अजमेर आने के बाद यहाँ के क्रांतिकारियों का देश के क्रांतिकारी संगठनों से संबंध स्थापित हो गया था।²³

1912 ई. से इन क्रांतिकारियों ने डकैतियां और हत्याएं प्रारम्भ कर दी थीं। जून 1912 ई. में प्रतापसिंह बारहठ की क्रांतिकारी टोली ने जोधपुर के एक महंत की हत्या कर दी थी। इस हत्या का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के लिये धन प्राप्त करना था। क्रांतिकारी इन दिनों धन की भारी कमी अनुभव कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अब लोगों ने डर से इनकी शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं को धन देना स्थगित कर दिया था तथा वे इनसे सम्पर्क रखने में कतराते थे।²⁴ दिसम्बर, 1912 ई. में लार्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयत्न किया गया जिसमें उनका एक अंगरक्षक मारा गया था। इसी दिल्ली षडयंत्र कांड के सिलसिले में बाद में सेठी अर्जुनलाल को गिरफ्तार किया गया था और बारहठ केसरीसिंह पर संदेह के कारण नजर रखी जाने लगी थी। इन क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक हत्याकांड मारवाड़ के निमाज नामक कस्बे में सेठी अर्जुनलाल के विद्यार्थियों द्वारा किया गया था। यद्यपि ये दोनों ही हत्याकांड 1912 ई. और 1913 ई. में हुए थे परन्तु इनका सुराग मार्च, 1914 ई. तक पकड़ में नहीं आ सका। 1914 ई. में वायसराय बमकांड के सिलसिले में सेठी जी के एक शिष्य शिवनारायण को गिरफ्तार किया गया था। इस व्यक्ति ने घबरा कर निमाज महंत हत्याकांड की भी जानकारी पुलिस को दे दी थी। इस पर मोतीचन्द को फांसी की सजा व विष्णुदत्त को दस वर्ष की काले पानी की सजा देकर इसे वर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। जहाँ से चार साल बाद पैरोल पर रिहा किये गये।²⁵

भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के अधिकारी हार्डिंग बमकांड के अभियुक्त जोरावरसिंह (बारहठ केसरीसिंह के भाई जो निमाज हत्याकांड के अभियुक्त भी थे) की तलाश में अप्रैल 1914 ई. में जोधपुर पहुँचे थे, उस समय गुप्तचर विभाग के सुपरिटेण्डेंट आर्मस्ट्रांग को यह पता चला कि वहाँ का एक धनी साधु भी गत दो वर्षों से लापता है। उसके अनुयायियों ने उनकी काफी तलाश भी की परन्तु उसका कहीं पता नहीं चल सका। इस सिलसिले में 3 मई, 1914 ई. को रामकरण, केसरीसिंह जी बारहठ, लक्ष्मीलाल, हीरालाल और लाहड़ी को गिरफ्तार कर उन पर कोटा के सेशन न्यायालय में मुकदमा चलाया गया।²⁶

अंग्रेज सरकार ने राव गोपालसिंह के विरुद्ध 10 अक्टूबर, 1914 ई. में कार्यवाही की। अजमेर के कमिश्नर ए.टी.होम्स ने उन्हें मिलने के लिये पुष्कर बुलाया। वहाँ उन्हें एक विशेष पत्र दिया गया तथा उनसे उनके बारे में स्पष्टीकरण मांगा। पत्र में आरोप लगाया गया कि आपने क्रांतिकारी आन्दोलन का समर्थन कर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षडयन्त्र कर राजद्रोहात्मक कार्य किया। आपके कार्यकर्ता-विष्णुदत्त, नारायण सिंह और लाहड़ी ने अजमेर, जोधपुर, कोटा निमाज में क्रांतिकारी गतिविधियों को उग्र किया। आपकी क्रांतिकारियों को शस्त्र दिलाने और प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खरवा क्रांतिकारियों को केन्द्र बन चूका है। रावगोपाल सिंह की इन अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार ने 25 जून, 1915 ई. को उनके विरुद्ध भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया। सरकार ने उन्हें चौबीस घन्टे के अन्दर खरवा छोड़ कर टाडगढ़ के तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिये। उन्हें वहाँ तहसीलदार टाडगढ़ द्वारा निर्धारित स्थान पर अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक कहीं भी बाहर नहीं निकलने के आदेश दिये गये। उन पर तहसीलदार की पूर्व अनुमति के बिना टाडगढ़ निवासियों के अतिरिक्त अन्य बाहर के व्यक्तियों से मिलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 26 जून, 1915 ई. को राव गोपालसिंह को खरवा छोड़ना पड़ा। वहाँ से रवाना होते समय अपने पुत्र कुंवर गणपतसिंह को आशीर्वाद देते हुये उसे अपनी मातृभूमि और भगवान के प्रति वफादार रहने की सलाह दी।²⁷

इन्सपेक्टर जनरल पुलिस बातचीत के आधार पर राव गोपालसिंह ने स्वयं अपने आपको पुलिस को सौंप दिया और उन्हें राजनीतिक बंदी के रूप में अजमेर लाया गया। उन्हें अजमेर के किले में रखा गया और 12 अक्टूबर, 1915 ई. को अजमेर के जिला दंडनायक कैप्टिन कॉमट ने उन्हें दो वर्षों की सामान्य कारावास की सजा दी।²⁸

बनारस हत्याकांड के सिलसिले में उन्हें नवम्बर में बनारस भेजा गया परन्तु सरकार के द्वारा मुकदमा हटा लेने के कारण 24 नवम्बर, 1915 ई. को उन्हें वापिस अजमेर भेज दिया गया। 4 सितम्बर, 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया परन्तु उसी दिन पुनः उन्हें भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर तिलहर भेज दिया गया जहाँ वे ढाई वर्ष तक हवालात में रहे। अजमेर-मेरवाड़ा जिले के खालसा ग्रामों व कस्बों के लोगों ने हजारों की संख्या में हस्ताक्षर करके राव गोपालसिंह की रिहाई के लिये वायसराय को प्रार्थना-पत्र भेजे। 1922 ई. में उन्हें राजनीतिक बंदियों के साथ रिहा कर दिया गया।²⁹ बारहठ केसरीसिंह को जून, 1919 ई. तक जेल का जीवन काटना पड़ा। उनकी यह आकांक्षा थी कि राजपूत समाज में सैनिक जागृति उत्पन्न कर मातृभूमि को मुक्त करवाया जाये। क्रांतिकारी योजनाओं की असफलता से उन्हें इतना गहरा सदमा पहुँचा कि उन्होंने चम्बल तट पर एकान्तवास ग्रहण कर लिया था। अर्जुनलाल सेठी को प्रारम्भ में जयपुर जेल में बिना कार्यवाही के नौ महिने रखा गया। उसके बाद उन्हें वेलूर जेल में भेज दिया गया था। 1917 ई. में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में एक प्रस्ताव जेल में सेठी जी पर हो रहे अत्याचारों द्वारा सरकारी नीति की भर्त्सना की तथा केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप की माँग की। 1920 ई. में, 6 वर्ष के लंबे जेल-जीवन के बाद उन्हें रिहा किया गया।³⁰

1915 ई. के अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीति ने, जो कुछ भी क्रांतिकारी गतिविधियों के अवशेष बचे थे उन्हें क्रूरता से कुचल दिया था। राव गोपालसिंह और बारहठ केसरीसिंह के राजपूताने के राजघरानों एवं अभिजात वर्ग से उनके निकटतम संपर्क के कारण अंग्रेज अधिकारियों को यह संदेह होना स्वाभाविक ही था कि राजपूताना के राजघराने और जागीरदार भी इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों में थोड़ी बहुत रुचि लेते रहे हैं। इसलिये भारत सरकार ने राज दरबारों में अपना सर्वोच्च सत्ता का नियंत्रण-अंकुश कस दिया था। इन रजवाड़ों में लगभग एक दशक तक आतंक का साम्राज्य स्थापित हो गया था। अंग्रेज सरकार को अपनी बफादारी से आश्वस्त करने के लिये राजपूताना और अजमेर के नरेशों एवं जागीरदारों ने अपनी प्रजा के लिये स्वराज्य की कल्पना तक को असंभव बना दिया था। 17 नवम्बर, 1916 ई. को अजमेर में भारत वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड के अजमेर आगमन पर अजमेर ब्यावर रेलवे स्टेशन पर सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस अधिकारी ए.एस.डेनिव ने बंगाल से अजमेर पहुँचे सतीश चटर्जी, राहुल राय तथा मुकन्द दत्ता को क्रान्तिकारी होने के संदेह में बंदी बनाकर उन्हें 16 दिसम्बर तक अजमेर कारागृह में बंदी बनाये रखा।³¹

28 व 29 दिसम्बर, 1918 ई. को दिल्ली में होने वाले राजपूताना मध्य भारत सभा अधिवेशन में सम्मिलित होने जा रहे 20 व्यक्तियों के दल को अजमेर रेलवे स्टेशन तथा 16 व्यक्तियों को ब्यावर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने से ब्रिटिश पुलिस अधिकारी मार्ले एंडी ने दिल्ली जाने पर प्रतिबंध लगाकर उनका नेतृत्व कर रहे अब्दुल खॉ ईराकी व बैरिस्टर तेज कुमार सक्सेना को बंदी बनाकर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की धमकी दी गई और उसे 5 जनवरी, 1919 ई. को 150 रुपये के जुर्माने पर रिहा किया गया।³²

पुलिस रिकॉर्ड व न्यायालय की फाईल्स आदि में क्रान्तिकारियों की धरपकड़ के मामले विचाराधीन रहें। पुलिस द्वारा बंदी बनाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध प्रायः राजद्रोह के मुकदमें अधिक आरोपित किये जाते थे। आई.पी.सी. की धारा 121, 124-क के अन्तर्गत 2 वर्ष का या आजीवन कारावास के दण्ड के भय ने पुलिस को उग्र बना दिया। बंदी जीवन के दौरान पुलिस द्वारा शारीरिक यातना देना, दुर्व्यवहार करना पुलिस थाने में आम बात थी। इससे प्रतीत होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सभी पुलिस कर्मचारी ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहे।³³ इसी कारण 1857 ई. की क्रांति से 1947 ई. भारत की आजादी तक ब्रिटिश के विरोध में भारतीयों द्वारा किये गये सभी स्वतन्त्रता आन्दोलन असफल होते गये।

ब्रिटिश प्रान्त अजमेर-मेरवाड़ा में भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878 (Act no. XI of 1878) लागू नहीं होने के कारण 1907 ई. के बाद यहाँ पर ब्रिटिश विरोधी गतिविधियाँ तीव्र होने लगी। अजमेर-मेरवाड़ा में राजनीतिक चेतना के प्रेरणा स्रोत बंगाल और महाराष्ट्र के क्रान्तिकारी थे। अंग्रेज अधिकारियों की शोषित आर्थिक नीति व तानाशाही राजनीतिक गतिविधियों ने भारतीय युवाओं में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह को पल्लवित किया। इस विद्रोह का दमन करने में पुलिस व न्याय की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पुलिस के आतंक व गतिविधियों ने भी ब्रिटिश अधिकारों को संरक्षण दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों का प्रभाव धीरे-धीरे अजमेर के युवा वर्ग में बढ़ने लगा जिसमें राजकीय महाविद्यालय, अजमेर के छात्रों ने अहम भूमिका निभायी अजमेर में गुप्त रूप से क्रान्तिकारी घटनायें स्वतन्त्रता प्राप्ति तक सक्रिय रही परन्तु नेतृत्व नहीं मिलने के कारण 1930 ई. के बाद क्रान्तिकारी आन्दोलन शिथिल होने लगा। लाहौर षड्यन्त्र केस में हिन्दूस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के पंजाब के भगतसिंह(28 सितम्बर,1907-23 मार्च,1931) पूणे (महाराष्ट्र) के शिवराम हरी राजगुरु(24 अग.1908-23मार्च,1931) और लुधियाना के सुखदेव थापर(15मई,1907-23मार्च,1931) को 23 मार्च, 1931 ई. को लाहौर जेल में संध्या के समय 7.30 मिनट पर तीनों को फांसी दे दी गई इसके बाद सम्पूर्ण भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन की सक्रियता में कमी आई।³⁴ 7 मार्च, 1935 ई. को उप पुलिस अधीक्षक प्राणनाथ डोगरा

को क्रान्तिकारी रामसिंह ने गोली मारकर घायल कर दिया। 19 मार्च को रामसिंह, ज्वालाप्रसाद, रमेशचन्द्र व्यास व नरहरी शर्मा गिरफ्तार हो गये और 29 अप्रैल को इन सभी को 2-2 वर्ष का कारावास और रामसिंह को 7 वर्ष के लिये काला-पानी बर्मा राज्य की राजधानी रंगून में भेज दिया गया। इस प्रकार क्रान्तिकारियों का अजमेर-मेरवाड़ा में पुलिस की निष्ठुर प्रक्रिया ने दमन किया और न्याय व्यवस्था ने कारावास देकर स्वतन्त्रता आन्दोलन को शिथिल कर दिया।³⁵

इस प्रकार क्रान्तिकारी आन्दोलन के स्थान पर अजमेर में गाँधी युग 1920 से 1942ई.तक अहिंसात्मक असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आन्दोलन राजनीतिक स्वतन्त्रता आन्दोलन के रूप में सक्रिय व उग्र बने।

सन्दर्भ

1. राजपूताना मालवा टाइम्स (साप्ताहिक अंग्रेजी)अजमेर, 8 अगस्त, 1895 ई.पृ. 3
2. माथुर, सर्वेश; अजमेर डाइरेक्ट्री, अजमेर, 1959 ई. पृ. 2
चौधरी, रामनारायण; आधुनिक राजस्थान का उत्थान, अजमेर 1976 ई. पृ. 42
3. नवीन राजस्थान, 24 जनवरी, 1926 ई. पृ. 2(हिन्दी समाचार पत्र)
4. नवीन राजस्थान, 7 फरवरी, 1926 ई. पृ. 3
5. 1885 ई. में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बैरीस्टरी पास कर श्यामजी कृष्ण वर्मा अजमेर आये और 1889 ई. में अजमेर म्यूनिसिपल कमिटी के उपाध्यक्ष बने। वे निष्क्रिय प्रतिरोध को अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का साधन मानते थे। 1892 ई. में उदयपुर तथा 1894 ई. में जूनागढ़ में उन्होंने दीवान के पद पर कार्य किया। 1897 ई. में वे इंग्लैण्ड चले गये वहाँ क्रान्तिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए इण्डियन हाऊस स्थापित किया। अजमेर के जन आन्दोलन में उन्होंने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया किन्तु प्रेरक अवश्य रहे।
त्यागभूमि, 14 जनवरी, 1930 ई. पृ. 2(हिन्दी समाचार पत्र)
- 6.द म्यूनिसिपल रिपोर्ट ऑफ अजमेर, 1900-1901 ई. अजमेर, 1902 ई. पृ.2
- 7.हिन्दूस्तान; 1 मार्च, 1906 ई. पृ. 3
- 8.अजमेर कमिश्नर रिकार्ड्स, राव गोपाल सिंह खरवा केस फाईल, नं. 56 खंड एफ. 25 जून, 1915 ई. पृ. 8-10
- 9.उपर्युक्त, पृ. 9
- 10.जून, 1899 ई. में विनायक व गणेश सावरकर बंधु ने नासिक में मित्र मेला एक क्रान्तिकारी गुप्त सोसायटी का गठन किया। 1904 ई. तक 200 लोग सदस्य बन गये। 1 सितम्बर, 1904 ई. को इस समिति का नाम बदलकर अभिनव भारत समिति रखा जो ईटली के मैजिनी क्रान्तिकारी की संस्था यंग इटली से प्रभावित थे। इस समिति के सदस्य अनन्त लक्ष्मण कान्हरे पर 1909 ई. में नासिक षड्यन्त्र केस चला। जो अजमेर के खरवा नरेश राव गोपालसिंह को पिस्टल, राइफल और बम आदि आयुधों का क्रय-विक्रय करते थे। ब्यावर-टाड़गढ़ की पहाड़ियों इनकी शरण स्थली थी। स्कूल के छात्र हरीश चन्द्र विश्णोई ने खरवा नरेश का साथ देने के लिये कई छात्रों को क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिये प्रशिक्षित किया।
- 11.एम. एन. राय के सुझाव पर सतीश चन्द्र बसु ने 24 मार्च, 1902 ई. को बंगाल के क्रान्तिकारियों को संगठित कर कलकत्ता में अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त संस्था स्थापित की जिसके अध्यक्ष कलकत्ता के बैरिस्टर प्रमथ मित्र बने। इसकी तीन समितियाँ गठित की गईं— प्रथम के अध्यक्ष प्रमथ मित्र, द्वितीय समिति का नेतृत्व बंगाली क्रान्तिकारी महिला सरला देवी और तीसरी का नेतृत्व उग्रराष्ट्रवादी अरविन्द घोष ने की। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, रासबिहारी बोस, तारकनाथ, बिपिन बिहारी तथा हेमेन्द्र कुमार किशोर भट्टाचार्य क्रान्तिकारी थे। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति के द्वारा स्वतन्त्रता आन्दोलन को उत्तेजित करना था। अजमेर में राजकीय महाविद्यालय के छात्र राजू सिखवाल, हरिदत्त, शंकर लाठी तथा डी.ए.वी. के छात्र रामजी लाल गौड़, चन्द्रिका प्रसाद, मोहनलाल जोशी, महेन्द्र गुर्जर, बशीर हुसैन, रमजान खान तथा रामानन्द फड़ोदा आदि ने सशस्त्र क्रान्ति का समर्थन करने के कारण रामानन्द फड़ोदा, बशीर हुसैन, महेन्द्र गुर्जर, हरिधर और अनिकेत को शस्त्र कानून के अन्तर्गत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 24 दिसम्बर, 1911 ई. को उन्हें नजरबंद कर 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया।
12. उत्तर लन्दन के हाईगेट में क्रामवेल एवेन्यू में 1905-1910 ई. के दौरान लन्दन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इण्डिया हाऊस भारतीय छात्रों का निवास स्थान था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लन्दन में हाईगेट के पास तिमंजिला भवन खरीदकर उसका नाम इण्डिया हाऊस रखा जिसमें भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति देकर शिक्षा की व्यवस्था करना था।
- 13.अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में नवम्बर, 1913 ई. में भारत से अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने के उद्देश्य से गदर पार्टी की स्थापना हुई जिसके संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकना, उपाध्यक्ष केसर सिंह थथगढ़,

महामंत्री—लाला हरदयाल, संयुक्त सचिव लाला ठाकुर दास धुरी तथा कोषाध्यक्ष पण्डित कांशी राम मदरोली थे। इसकी प्रथम बैठक 1 दिसम्बर, 1913 ई. में सैक्रोमेन्टो कैलिफोर्निया में आयोजित हुई। गदर का अखबार हिन्दी पंजाबी और उर्दू में हिन्दूस्तान गदर के नाम से प्रारम्भ हुआ जिसमें क्रान्ति के रूप में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खुला विरोध किया जाता था। युगान्तर आजम गदर पार्टी का मुख्यालय था। करतार सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, अजीत सिंह, लालालाजपत राय, चन्द्र शेखर आजाद, बिस्मिल्लाह, तेजासिंह, हरनाम, करीम बख्श आदि थे।

सिंह, योगेन्द्र, पंजाब के क्रान्तिकारी, लुधियाना, 1988 ई. पृ. 25-26

14. 5अक्टूबर, 1910 ई. में गोपाल सिंह खरवा एवं (i) केसरीसिंह बारहठ (21 नवम्बर, 1872-14 अगस्त, 1941 ई.) ने अजमेर में क्रान्तिकारियों की एक गुप्तचर सैनिक सशस्त्र संगठन वीर भारत सभा स्थापित की गई। राव गोपाल सिंह अजमेर के क्रान्तिकारियों मधुसुदन, रमेश जोशी, राधाशरण, बाबूलाल, विश्वनाथ, जितेन्द्र, हरदीन, सावरमल, कनिष्क, रामचन्द्र, हरेन्द्र, सिखवाल, हरीश, चारभुजा, मनेन्द्रनाथ, जाजूलाल, हिम्मतसिंह आदि डी.ए.वी. स्कूल के छात्र तथा आर्यसमाज के कर्मठ कार्यकर्ता गिरधारी लाल व हरिशंकर को शस्त्र पहुँचाने का कार्य करते थे और केसरीसिंह बारहठ ने बंगाल से आये बाबू यतीन्द्र बनर्जी तथा पंजाब के जतीन्द्र जगग व हरिन्द्र सिंह के नेतृत्व में शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे।

(i) केसरीसिंह बारहठ, भाई जोरावर सिंह बारहठ तथा पुत्र प्रतापसिंह बारहठ ने मिलकर रास बिहारी बोस के साथ लार्ड हार्डिंग द्वितीय की सवारी पर बम फेंकन के कार्य में भाग लिया। चेतावनी रा चुगट्या नामक सोरठे को पढ़कर मेवाड़ महाराणा फतेहसिंह को उनके गौरव की याद दिलाकर 1903 ई. में लार्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोका।

15. 10अक्टूबर, 1924 ई. को भारतीय स्वतन्त्रता के क्रान्तिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चन्द्र चटर्जी, चन्द्रशेखर आजाद और शचीन्द्र सान्याल ने कानपुर में इस सशस्त्र क्रान्तिकारी दल की स्थापना की जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति को व्यवस्थित कर भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था।

दि रिवोल्यूशनरी (घोषणपत्र) समाचार-पत्र वर्मा, मदनलाल; स्वाधीनता संग्राम में क्रान्तिकारी साहित्य का इतिहास, नई दिल्ली, 2006 पृ. 329

राजेन्द्र लोहड़ी को 17 दिसम्बर, 1926 ई. तथा रामप्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्ला खॉ एवं ठाकुर रोशनसिंह को 19 दिसम्बर, 1927 ई. को लखनऊ की सेन्ट्रल जेल में फांसी दी गई।

16. 1मार्च, 1926 ई. को भगतसिंह तथा भगवती चरण बोहरा ने किसान युवाओं को एकत्रित कर अमृतसर में स्थापित की जिसका प्रथम सम्मलेन 11-13 अप्रैल, 1928 ई. को नौजवानों में आजादी का उत्साह भरने के लिये किया इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे को उग्र स्वरूप प्रदान किया।

17. नवजीवन, 10 जून, 1927 ई. पृ. 2

प्रजासेवक, 15 नवम्बर, 1942 पृ. 1

18. अजमेर रिकॉर्ड, राजपूताना एजेन्सी फाईल संख्या 12, (सीक्रेट) नं. 59, 2 अप्रैल, 1907 ई. कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा ए.जी.जी. राजपूताना को लिखा पत्र।

19. अजमेर रिकॉर्ड राजपूताना एजेन्सी फाईल संख्या 63 पू.उ. पृ. 4

देशद्रोह आई.पी.सी. धारा-113 में वर्णित है— देशद्रोह या राजद्रोह शब्द का अर्थ है— यदि कोई व्यक्ति शब्दों या कार्यवाही के माध्यम से सरकार का विरोध करने के लिये व्यक्ति के समूह को उग्र करता है तो ऐसा कार्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अंग्रेजों को इसकी आवश्यकता इसलिये हुई कि भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोही गुप्त लगातार बढ़ते जा रहे थे जो देश में धरना-हड़ताल के द्वारा प्रदर्शन कर विरोध प्रकट कर रहे थे अर्थात् अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय स्वतन्त्रता सैनानियों को जेल में डालने के लिये देशद्रोह का कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाया जबकि 1860 ई. में लागू आई.पी.सी. में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। 1870 ई. में आई.पी.सी. में संशोधन कर धारा-124 (ए) जोड़ी गई, 1898 ई. में देशद्रोह का अर्थ ऐसा कोई भी काम जो सरकार के खिलाफ असन्तोष जाहिर करता है। ब्रिटिश सरकार ने जून, 1942 ई. में पुनः संशोधन कर हिंसा भड़काने और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने संबंधित शब्दों को जोड़कर उसे देशद्रोह या राजद्रोह में शामिल किया गया।

आसफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, लंदन, 1948 ई.

20. पुलिस रिकॉर्ड रजिस्टर नं. 78, 1906 (1 जनवरी, 1906-31 दिसम्बर, 1906 ई.) पृ. 69 इन कैदियों को 6 अप्रैल को बिना किसी आरोप के मुक्त किया गया।

21. पुलिस रिकॉर्ड, फाईल संख्या 32, हल्का-दरगाह बाजार दिल्ली गेट थाना, रजिस्टर नं. 104, 2 जनवरी, 1907 ई.

22. अजमेर रिकॉर्ड, फौजदारी न्यायालय संख्या 2 फाईल संख्या 21/15 जनवरी, 1912 पृ. 67-68

संदेश, हिन्दी मासिक पत्र, ब्यावर 1 जनवरी, 1916 ई. पृ. 1

23.द स्टेट्स्मेन, 15 फरवरी, 1931

24.राजपूताना, 15 अक्टूबर, 1912 पृ. 2

25.नवज्योति, 1 नवम्बर, 1936 ई. पृ. 3 साप्ताहिक हिन्दी, अजमेर

26.राजपूताना एजेन्सी फाईल नं. 51 खण्ड 1, (गुप्तचर-रिपोर्ट) 2 फरवरी, 1915 ई.

27.अजमेर रिकॉर्ड, सेडीशन कमेटी रिपोर्ट, फाईल नं. 73, रिपोर्टर मेजर शर्ली स्टीफन, 1 नवम्बर, 1915 ई. 10 पृष्ठीय रिपोर्ट नं. 36

28.अजमेर कमिश्नर रिकॉर्ड, फाईल संख्या 122, 1 नवम्बर, 1922 ई. सेशन न्यायालय, अजमेर।

29.अजमेर केन्द्रीय कारागृह फाईल संख्या 169, रजिस्टर नं. 201, पृ. 136, 10 मार्च, 1922 ई.

30.उपर्युक्त, रजिस्टर संख्या 178, 15 दिसम्बर, 1920 ई. पृ. 6

31.संदेश, हिन्दी मासिक पत्र, ब्यावर 1 जनवरी, 1916 ई. पृ. 1

32.रियासत, 15 जनवरी, 1919 ई. पृ. 2

33.तरुण राजस्थान, 1 अगस्त, 1924 ई. पृ. 4

34.त्याग भूमि, साप्ताहिक हिन्दी, अजमेर, 1 अप्रैल, 1931 ई. पृ. 1

35.अजमेर कमिश्नर रिकार्ड्स,(ज्युडिशियरी रिकार्ड्स) अजमेर-मेरवाड़ा फाईल नं. 301, 10 अप्रैल, 1935 ई. को क्रान्तिकारी रामसिंह के बयान पृ. 1-6, 3 मई, 1935 ई. को ज्वाला प्रसाद के बयान होने के बाद 21 मई, 1935 ई. को दोनों को 2-2 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया।

हिन्दुस्तान, 15 जून, 1935 ई. पृ. 1

